भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1640
दिनांक 01.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नल से जल कनेक्शन

1640. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः
श्री अरविंद गणपत सावंतः
श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया गया है;
(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा साझा की गई लागत का प्रतिशत कितना है;
(ग) क्या केंद्र सरकार को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चेक डैम की अनुपस्थिति के कारण जल संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या चेक डैम के निर्माण के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ताकि ग्रामीण घरों को नियमित रूप से नल से जल उपलब्ध कराया जा सके; और
(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है।

अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 30.07.2024 तक, लगभग 11.79 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 30.07.2024 तक, देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.02 करोड़ (77.76%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रस्तावित जल जीवन मिशन शहरी योजना को 05 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के रूप में शुरू किया गया है।

अमृत 2.0 का उद्देश्य शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाना और देश के सभी सांविधिक शहरों में सभी परिवारों को कार्यशील नलों के माध्यम से जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। मिशन के उद्देश्य में अमृत योजना के पहले चरण में कवर किए गए 500 शहरों के सभी परिवारों हेतु सीवेज/सेप्टेज प्रबंधन प्रदान करना भी शामिल है।

(ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत, केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निधि साझाकरण पैटर्न विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, विधानमंडल वाले पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और शेष राज्यों के लिए 50:50 है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा साझा किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों की विभिन्न श्रेणियों के लिए केन्द्रीय अंश नीचे दिया गया है

यूएलबी	केंद्रीय हिस्सा
संघ राज्य क्षेत्र	100%
उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालयी राज्य	90%
1 लाख से कम आबादी वाले	50%
1-10 लाख के बीच आबादी वाले (दोनों शामिल)	33.33%
>10 लाख आबादी वाले	25%*

** पीपीपी मोड के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को छोड़कर*

(ग) से (ङ) जल संसाधन विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्यों की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्यों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के स्थायी विकास तथा कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार, जल संसाधन परियोजनाएं, *अन्य बातों के साथ-साथ,* ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं और चैक डैम मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी हैं।

इसके अलावा, जल जीवन मिशन के तहत, राज्यों को मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), 15वें वित्त आयोग का आरएलबी/पीआरआई के लिए सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधि, आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों के नवीकरण, ग्रेवाटर के पुन:उपयोग, आदि के जरिए स्रोत पुनर्भरण करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने हेतु जल शक्ति अभियान (जेएसए), अटल भूजल योजना, मनरेगा, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली (आरआरआर), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) आदि जैसी विभिन्न पहलों/योजनाओं के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ गहन सहयोग से कार्य करती है। वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) अभियान का उद्देश्य देश के 256 जल संकट-ग्रस्त जिलों में लोगों की भागीदारी से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, विशेष रूप से पेयजल उपलब्धता के लिए स्थायी जल प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करते हुए, जेएसए-सीटीआर को वर्ष 2023 में "पेयजल हेतु स्रोत स्थिरता" विषय के साथ लागू किया गया था। इसी तरह, वर्ष 2024 में, जेएसए को 09.03.2024 से 30.11.2024 तक "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय के साथ लागू किया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है।

*****